



पूर्व मध्य रेल
(लेखा विभाग)

कार्यालय
प्रधान वित्त सलाहकार
हाजीपुर

कार्यालय आदेश सं०:- अराज०/30/2026

दिनांक: 13.04.2026

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कर्मचारी को अनंतिम रूप से आशुलिपिक-III, ग्रेड वेतन रु० 2400/- (Level-4) से आशुलिपिक-I, ग्रेड वेतन रु० 4200/- (Level-6) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उनके वर्तमान कार्यालय में ही पदस्थापना के आदेश जारी किए जाते हैं:-

Sl. No.	Name (Smt.)	Cat.	Desig	Posted under
1	Suman Kumari	UR	Steno-III	Dy.FA&CAO/TA/HJP

नोट:-

1. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अंदर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जाएगा।
2. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो।
3. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C)30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा।

[Authority: Note#59 E file No. ECR-HQ0ACCT(ADMN)/0007/2025, Computer No.310757]

(राजीव रंजन)
सविस/प्रशा

कृते प्रधान वित्त सलाहकार

सं.: ECR/FIN/ADMN/Promotion/Steno

दिनांक: 13.04.2026

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/प्रविस: प्रविस महोदय के सूचनार्थ।
2. उप विसमुलेधि(सामान्य)/ हाजीपुर
3. उप विसमुलेधि /यातायात/हाजीपुर।
4. ईडीपीएम/हाजीपुर।
5. सविस/प्रशा./हाजीपुर।
6. सचिव/ईसिआरईयू/एससी-एसटी एवं ओबीसी असोसिएशन।
7. सम्बंधित कर्मचारी।
8. कार्यालय आदेश पंजिका/वेब पोर्टल।

कृते प्रधान वित्त सलाहकार